

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर



प्र०क० निगरानी

/ 2018 जिला-शहडोल

निगरानी- 3233/2018/शहडोल/भू.रा
श्यामलाल पिता धुन्नी कचेर (मृत)



वरिसान :-

- 1-गोपिका कचेर पत्नी स्व० श्यामलाल कचेर
- 2- नारेन्द्र कचेर पुत्र स्व० श्यामलाल कचेर
- 3-सुनीता कचेर पुत्री स्व० श्यामलाल कचेर
- 4-नीता कचेर पुत्री स्व० श्यामलाल कचेर
- 5-सुरेन्द्र कचेर पुत्र स्व० श्यामलाल कचेर
- 6-लखेन्द्र कचेर पुत्र स्व० श्यामलाल कचेर
- 7-सम्पतिया बेवा कुनी

8-दादूराम बैगा पिता खेकहा बैगा
निवासीगण ग्राम खन्नोधी तहसील
गोहपारु जिला शहडोल म० प्र०

---आवेदकगण

विरुद्ध

- 1-म० प्र० शासन द्वारा कलेक्टर महोदय
जिला-शहडोल म० प्र०
- 2-गया प्रसाद बैगा पिता दददी वैगा
- 3-बबनू बैगा पिता बालू बैगा
- 4-कमला पिता काशीराम कचेर
निवासीगण ग्राम खन्नोधी तहसील
गोहपारु जिला शहडोल म० प्र०


---अनावेदकगण

मध्यप्रदेश न्यायालय मण्डल
गोहपारु जिला

दिनांक 28.5.18
प्रस्तुत प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 08/06/18 नियत।

मा.प्र. निगरानी
लखनऊ

का.प्र. पी. वि. वि.
जिस आज 28.5.18
प्रस्तुत प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 08/06/18 नियत।
कलेक्टर जिला कोर्ट
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर



निगरानी आवेदन पत्र म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के
अन्तर्गत विरुद्ध आदेश दिनांक 27.4.2018 पारित द्वारा कलेक्टर जिला
शहडोल के प्रकरण कमांक 03/स्व०निगरानी/2013-14.

माननीय महोदय,

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - /R-3233/2018/शहडोल/भू.स.

जिला -

शहडोल

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/08/19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी...लेकर..... शहडोल के प्रकरण क्रमांक ...2/19.../13-14... में पारित आदेश दिनांक 17-5-18... के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त शहडोल संभाग को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 18-10-19...को आयुक्त शहडोल संभाग के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	